रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99		REGD. NO_D. L -33004/99
	त का रावे	
The E	bazette of	India
	EXTRAORDINARY	
	भाग Шखण्ड 4	*`
	PART IIISection 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY	GUSESANENS -
र्स. 106]	नई दिल्ली, सोमघार, जुलाई 31, 2000/श्रावण 9, 1922	
	NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2000/SRAVANA 9, 1922	

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

ন্হ दिल्ली, 31 जुलाई, 2000

सं. 301-8/2000-टीआरएआई(इकॉन).--भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप-धारा

(2) के अंतर्गत स्वयं को प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कि, भारत और भारत से बाहर जिन टैरिफों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उन्हें, शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है।

दूरसंचार टैरिफ (आठवां संशोधन) आदेश, 2000

(2000 का कमांक 2)

भाग−1

शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ :

(i) यह आदेश ''दूरसंचार टैरिफ (आठवां संशोधन) आदेश, 2000'' के नाम से जाना जाएगा।

(ii) यह आदेश 1 अगस्त, 2000 से लागू होगा।

भाग-11

टैरिफ

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में, क्रम संख्या 5, 6 और 12 की मदों के निमित्त, 1 अप्रेल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट टैरिफो/पल्स रेटों/प्रभारों के कार्यान्वयन को जिसे दूरंसचार टैरिफ (सातवाँ संशोधन) आदेश दिनांक 30 मार्च, 2000 द्वारा चार महीना स्थगित किया गया था, एक और महीना स्थगित किया जाता है। 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट टैरिफ/ पल्स रेट/प्रभार, 31 अगस्त, 2000 तक लागू बने रहेंगे।

भाग-III

व्याख्यात्मक ज्ञापन

 इस आदेश के अनुलग्नक ''क'' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट टैरिफों को स्पण्टता और पारदर्शिता प्रदान करता है।

आदेशानुसार,

हर्ष वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार

[सं. विज्ञापन- 3/4/असाधारण/142/2000]

अनुलग्नक ''क''

व्याख्यात्मक ज्ञापन

 दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में टैरिफों के पुनः संतुलन की ऐसी परिकरूपना थी कि, किराये में वृद्धि के साथ-साथ, एसटीडी और आईएसडी के कॉल प्रभारों में कमी होती जाए। इससे वर्तमान प्रचालकों के राजस्व पैंटर्न में परिवर्तन आ गया। डीटीएस और एमटीएमएल इनमें शामिल थे।

2. टैरिफ पुने: संतुलन कार्यक्रम में सन्निहित, किरायों में वृद्धि के साथ-साथ एसटीडी/आईएसडी काल प्रभारों में कमी, कार्यान्वयन की दृष्टि से, एक कालावधि के लिए बहुत अधिक तेज आकलित की गई थी। इसलिए इसको तीन कालावधियों में कार्यान्वित किया जाना था। पहली कालावधि 1 अप्रैल, 1999 को कार्यान्वित हुई। दूसरी कालावधि को 1 अप्रैल, 2000 से कार्यान्वित होना था।

3. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 73 में प्राधिकरण ने कहा है कि :

'' प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि राजस्व और यातायात याने ट्रैफिक के संबंध में वह स्थिति की मानीटरिंग करेगा और आवश्यकता होने पर, हस्तक्षेप करेगा बशर्ते कि इस कार्यक्रम में परिकल्पित प्रत्याशाओं से, वास्तविक स्थिति काफी भिन्न हो जाए।''

4. दूरसंचार सेवा विभाग (''डीटीएस'') ने टीआरएआई को बतायां कि 1999-2000 वितीय वर्ष के दौरान ''डीटीएस के राजस्व में निवल प्रतिकूल प्रभाव लगभग 2000-2200 करोड़ रुपए की सीमा तक हो सकता है।'' डीटीएस ने अत: यह अनुरोध किया कि प्राधिकरण कृपया समीक्षा करे, टी टी ओ 99 को देखें, जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 2000 से दीर्घ दूरिक प्रभारों में और अधिक कमी हो जानी है ताकि डीटीएस को और ज्यादा नुकसान न हो और वह अपने विस्तार कार्यक्रमों के लिए पैसा जुटा सके।

5. टैरिकों की बांछित समीक्षा ठीक तरीके से करने के लिए, टीआरएआई ने सभी प्रचालकों से, 1999-2000 के पूरे वित्तीय वर्ष के संबंधित आंकड़ों का अनुरोध किया। सभी प्रचालकों से यह सामग्री एकत्र करने के लिए और उसके विश्लेषण के लिए प्राधिकरण ने, दूरसंचार टैरिफ (सातवां संशोधन) आदेश, 2000 दिनांक 30 मार्च, 2000 द्वारा, टैरिफ पुंमे: संतुलन की दूसरी कालावधि को चार महीना स्थगित कर दिया।

6. कुछ प्रचालकों से अपेक्षित आंकड़े अभी हाल ही में मिले हैं, और समीक्षा की दृष्टि से सारी सामग्री के परीक्षण, अध्ययन, विश्लेषण आदि के लिए प्राधिकरण के पास समय पर्यापा नहीं है, अत: यह निर्णय किया गया है कि टी टी ओ 1999 में विनिर्दिष्ट टैरिफ परिवर्तनों पर निर्णय लेने की समयावर्धि को, एक और महीना याने 31 अगस्त, 2000 तक, बढ़ा दिया जाए।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2000

No. 301-8/2000-TRAI (Econ.).— In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

The Telecommunication Tariff (Eighth Amendment) Order 2000 (2 of 2000)

Section I

Ti Fxt to C

- (i) This Order shall be called "Telecommunication Tariff (Eighth Amendment) Order 2000."
- (ii) The Order shall come into force with effect from August 1, 2000.

Section II Tariff

2. For items 5, 6 and 12 in the Telecommunication Tariff Order, 1999, the implementation of tariffs/ pulse rates/ charges specified for the penind 1st April, 2000 to 31st March, 2001 postponed by four months vide Telecommunication Tariff (Seventh Amendment) Order 2000 dated March 30, 2000 shall be postponed by another one month. Tariffs/pulse rates/charges specified for the period 1st April, 1999 to 31st March, 2000, shall continue to apply till 31st August, 2000.

Section III

Explanatory Memorandum

3. This Order contains at Annex A, an Explanatory Memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order.

By Order, HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Adviser [ADVT No. 3/4/Extry/142/2000]

Annex A

Explanatory Memorandum

1. The Telecommunication Tariff Order, 1999 (TTO '99) envisaged rebalancing of tariffs wherein an increase in the rentals was coupled with a reduction in call charges for STD and ISD. This resulted in a change in the revenue pattern for existing operators including the DTS and MTNL.

2. The increase in rentals and the reduction in STD/ ISD call charges required for a rebalancing of tariffs were found to be too sharp to be implemented in one phase. Therefore, the implementation of tariff re-balancing was specified in three phases. The first phase was implemented on 1^{st} April, 1999. The second phase was scheduled to be implemented with effect from 1^{st} April, 2000.

3. The Authority had stated in paragraph 73 of the Explanatory Memorandum to the Telecommunication Tariff Order 1999 ("TTO 1999") that:

"The Authority has decided that it will monitor the situation in regard to revenues and traffic and, if necessary, intervene provided the actual situation differs substantially from the expectations assumed in this exercise"

4. The Department of Telecom Services ("DTS") communicated to TRAI that during the financial year 1999-2000, "the net adverse impact on the revenues of DTS may be in the range of approximately Rs.2000-2200 crores." As such DTS has requested the Authority to review the TTO '99 which prescribes further reduction in long distance charges w.e.f. 1st April, 2000 so that the DTS does not face further loss of revenue, curtailing its capability to finance further expansion programmes.

5. To conduct the required review, the TRAI requested for relevant data for the entire financial year 1999-2000, from all operators. In order to get the requisite inputs from all operators and for its analysis, the Authority deferred the second phase of tariff rebalancing by four months vide Telecommunications Tariff (Seventh Amendment) Order 2000 dated 30th March, 2000.

6. The required data was received from some operators only very recently, leaving no time for the Authority to process and analyse the information for the required review. It has been decided, therefore, that the time period within which the decision is to be taken on the tariff changes specified in the TTO 1999 be extended by one more month, i.e. till 31^{st} August, 2000.

4